प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर थाना:– सीपीएस जयपुर वर्ष 2022
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या....101/2022.... दिनांक....30/3/2022
2. (1) अधिनियम – भ्र0नि0 (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7 ....
   (2) अधिनियम – भा0द0सं0.............................. ..धाराये :–.....120 बी ....
   (3) अधिनियम ....धाराये :–...............................
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये :–
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....564.....समय.....3:25 pm
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– 29.03.2022 .... मंगलवार.............................
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 16.03.2022 समय 12.25 पी.एम......
4. सूचना की किस्म :– लिखित
5. घटनास्थल:– कार्यालय पंचायत समिति भणियाणा परिसर जिला जैसलमेर।

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – ब्यूरो चौकी से पूर्व दिशा, करीबन 110 किलोमीटर
   (ब) पता :– कार्यालय पंचायत समिति भणियाणा परिसर जिला जैसलमेर।
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–

6. परिवादी / सूचनाकर्ता
   (अ) नाम :– श्री भगवानसिंह
   (ब) पिता / पति का नाम :– श्री विरधसिंह
   (स) जन्म तिथि / वर्ष :– 37 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
   (य) पाटपोर्ट संख्या :–.. जारी होने की तिथी....................
   (र) व्यवसाय :– मजदूरी / खेतीबाड़ी।
   (ल) पता :–गांव कानासर, ग्राम पंचायत सरदारसिंह की ढाणी तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
   (1) श्री सीताराम पुत्र श्योराम जाति यादव उम्र 48 साल निवासी गांव भादवाडी तहसील खडेला जिला सीकर हाल कनिष्ठ तकनीकी सहायक कार्यालय पंचायत समिति भणियाणा जिला जैसलमेर।
   (2) श्री अरसद खॉ पुत्र श्री अब्दे खां जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी गांव भणियाणा तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर हाल कनिष्ठ सहायक,ग्राम पंचायत सरदारसिंह की ढाणी, हाल कार्यालय पंचायत समिति भणियाणा जिला जैसलमेर।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण – कोई विलम्ब नही
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य– रिश्वती राशि 20,000 रू.
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो) ....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवा में

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर।

विषय : जेटीए व कनिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते हुए पकडवाने बाबत।

महोदय

दिनांक 16.03.2022 को परिवादी श्री भगवानसिंह पुत्र श्री विरधसिंह जाति राजपुत निवासी गांव कानासर ग्राम पंचायत सरदारसिंह की ढाणी तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर ने उपस्थित भ्रनिब्यूरो जैसलमेर होकर एक प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया कि मेरे नाम से वर्ष 2018 में मनरेगा के तहत विकलांग कोटे से मेरे खेत में धोरा, टांका व पशुबाडा बनाने के पेटे 3,50,000 रूपये ग्राम पंचायत सरदारसिंह की ढाणी में स्वीकृत हुए थे जिस पर मैने मेरे खेत में धोरा , टांके का निर्माण करवा दिया था जिसकी मजदुरी पेटे मुझे 2019 में 22,000 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। बाद में मैने कार्य पुर्ण करवाने के पश्चात मेरी शेष रही राशि 3,28,000 रूपये के भुगतान के लिए ग्राम पंचायत में सम्पर्क किया तो 20–25 दिन पहले सीताराम जेटीए तथा अरसद खां कनिष्ठ सहायक मेरे खेत पर आये और मौका देखा जिसके बाद में बकाया भुगतान के लिए अरसद खां से मिला तो उसने स्वयं व जेटीए साहब के लिए खर्चा पानी (रिश्वत) देने के लिए कहा। मैं मेरे जायज काम के लिए जेटीए तथा कनिष्ठ सहायक को रिश्वत नही देना चाहता हुँ तथा इन दोनों भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुँ।

16.3.2022

भवदीय

–एस.डी.–

(भगवानसिह पुत्र विरधसिंह)

निवासी गांव कानासर ग्राम पंचायत सरदारसिंह
की ढाणी तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर
फोनः– 9462270379

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

दिनांक 16.03.2022 को मन अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जैसलमेर के मोबाईल फोन पर परिवादी श्री भगवानसिंह पुत्र श्री विरधसिंह जाति राजपुत निवासी गांव कानासर ग्राम पंचायत सरदारसिंह की ढाणी तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर ने अपने मोबाईल नम्बर 9462270379 से कॉल कर बताया कि मेरे नाम से वर्ष 2018 में मनरेगा के तहत विकलांग कोटे से मेरे खेत में धोरा, टांका व पशुबाडा बनाने के पेटे 3,50,000 रूपये ग्राम पंचायत सरदारसिंह की ढाणी में स्वीकृत हुए थे जिस पर मैने मेरे खेत में धोरा, टांके का निर्माण करवा दिया था जिसकी मजदुरी पेटे मुझे 2019 में 22,000 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। बाद में मैने कार्य पुर्ण करवाने के पश्चात मेरी शेष रही राशि 3,28,000 रूपये के भुगतान के लिए ग्राम पंचायत में सम्पर्क किया तो 20–25 दिन पहले सीताराम जेटीए तथा अरसद खां कनिष्ठ सहायक मेरे खेत पर आये और मौका देखा जिसके बाद में बकाया भुगतान के लिए अरसद खां से मिला तो उसने स्वयं व जेटीए साहब के लिए खर्चा पानी (रिश्वत) देने के लिए कहा। मैं मेरे जायज काम के लिए जेटीए तथा कनिष्ठ सहायक को रिश्वत नही देना चाहता हुँ तथा इन दोनों भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुँ। मजमून से लोक सेवक आरोपीगण द्वारा अवैध रूप से रिश्वत की मांग करने का कृत्य भ्रष्टाचार निवारण (संसोधन) अधिनियम 2018 की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस के राजकार्य से बाहर होने के कारण परिवादी को हिदायत की गई कि आप उक्त मजमूनी का प्रार्थना पत्र भ्रनिब्यूरो कार्यालय

जैसलमेर में उपस्थित होकर हैड कानि श्री जेठाराम को प्रस्तुत करे। कार्यालय हाजा के हैड कानि श्री जेठाराम नम्बर 53 को जरिये वाट्सअप कॉल के निर्देशित किया गया कि ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में एक परिवादी श्री भगवानसिंह उपस्थित आयेगा जिससे प्रार्थना पत्र प्राप्त कर बन्द लिफाफे में अपने पास सुरक्षित रखे तथा कार्यालय हाजा के कानि श्री किसनाराम 238 को डिजिटल रिकॉर्डर सुपुर्द कर, परिवादी को डिजिटल रिकॉर्डर ऑन – ऑफ व वार्ता रिकॉर्डिग करने की प्रक्रिया भली भांति समझाकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन कर लाने हेतु परिवादी श्री भगवानसिंह के साथ रवाना करे एवं बाद सत्यापन डिजिटल रिकॉर्डर को मालखाना में सुरक्षित रखे तथा वापसी पर मुझ उप अधीक्षक को पेश करे। दिनांक 16.03.2022 को परिवादी श्री भगवानसिंह ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित होकर एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र श्री जेठाराम हैड कानि 53 को पेश किया। जिस पर मेरे निर्देशानुसार श्री जेठाराम हैड कानि न0 53 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को एक लिफाफे में बन्द किया जाकर मालखाना में सुरक्षित रखा जाकर कार्यालय हाजा के कानि श्री किसनाराम को 238 को तलब कर कार्यालय हाजा का डिजीटल रिकॉर्डर निकालकर परिवादी श्री भगवानसिंह से आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी श्री भगवान सिंह को डिजीटल रिकॉर्डर को ऑपरेट करने एवं रिकार्डिग करने की प्रक्रिया समझाकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन कर लाने हेतु पाबंद कर कानि0 किसनाराम 238 के साथ भणियाणा की तरफ रवाना किया गया। बाद सत्यापन के कानि श्री किसनाराम भ्रनिब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित आया एवं डिजिटल रिकॉर्डर श्री हैड कानि जेठाराम को सुपुर्द कर बताया कि रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ताएं इस डिजिटल रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड है जिसे मेरे द्वारा नही सुना गया है तथा परिवादी श्री भगवानसिंह अपने निजी कार्य से ग्राम भणियाणा में ही रूक गया जो कि होली पर्व के बाद ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर पुनः सम्पर्क करने बाबत बताया। जिस पर श्री जेठाराम हैड कानि द्वारा निर्देशानुसार रिकॉर्डेड डिजिटल रिकॉर्डर को बिना सुने ही कार्यालय हाजा के मालखाना में सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 16.03.2022 समय 10.30 पीएम मन अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस राजकार्य से सांचौर गया हुआ उपस्थित भ्रनिब्यूरो जैसलमेर आया। जिस पर कार्यालय हाजा के हैड कानि श्री जेठाराम 53 ने परिवादी भगवानसिंह के प्रार्थना पत्र का बन्द लिफाफा एवं डिजिटल रिकॉर्डर जिसमें रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है, पेश किया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो परिवादी द्वारा पुर्व मे बताये गये तथ्य अंकित होना पाये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। ताबाद डिजिटल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वती राशि मॉग सत्यापन वार्ता को सुनने पर पाया गया कि परिवादी श्री भगवानसिंह दिनांक 16.03.2022 को श्री सीताराम जेटीए से मिला तो आरोपी सीताराम ने परिवादी से खर्चा पानी के रूप मे 15000 रूपये रिश्वत की मांग की तथा उसी समय 5000 रूपये ले लिए थे तथा शेष 10 हजार रूपये मेरे दे देना व अरसद का मुझे नही पता अरसद का तुम जानो मैने मेरा बता दिया है, इत्यादि कहना पाया गया। उसी रोज परिवादी श्री भगवानसिंह के द्वारा अरसद से सम्पर्क करने पर आरोपी अरसद द्वारा भी स्वयं के लिए 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग करना पाया गया। उक्त दोनों वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट आईन्दा अलग से मुर्तिब की जावेगी। इस प्रकार लोक सेवक आरोपीगण द्वारा अवैध रूप से रिश्वत की मांग करने का कृत्य भ्रष्टाचार निवारण (संसोधन) अधिनियम 2018 पाये जाने पर आईन्दा ट्रेप का आयोजन किया जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 28.03.2022 को कार्यालय हाजा के हैड कानि श्री जेठाराम नम्बर 53 को जरिये वाट्सअप कॉल के निर्देशित किया गया कि परिवादी के कथनानुसार इस प्रकरण के दोनो आरोपीगण होली पर्व के अवकाश से वापस आ गये है जो कि परिवादी से कल दिनांक 29.03.2022 को रिश्वती राशि का लेन देन करेगे। लिहाजा अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान को तलब कर कल प्रातः 9.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने बाबत पाबन्द कर मन उप अधीक्षक को राजकार्य से वापसी के पश्चात सुचित करें तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस बाद राजकार्य के ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर के रवाना हुआ। दिनांक 28.03.2022 समय 11 पीएम को मन अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस राजकार्य से जोधपुर गया हुआ उपस्थित भ्रनिब्यूरो जैसलमेर आया। जिस पर

कार्यालय हाजा के हैड कानि श्री जेठाराम 53 ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि जरिये तहरीर वन विभाग जैसलमेर से दो स्वतन्त्र गवाहान श्री उदयराज एवं विष्णुसिंह को कल प्रातः 9.00 एएम तक ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया जा चुका है।

दिनांक 29.03.2022 को समय 9.00 एएम पर ब्यूरो स्टाफ एंवं पुर्व मे पाबन्दशुदा दो गवाहान ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित आये। जिनका परिचय प्राप्त किया गया तो उन्होने अपना नाम क्रमशः श्री उदयराज पुत्र श्री सांवरमल मीणा जाति मीणा उम्र 25 साल निवासी जांखल तहसील नवलगढ जिला झुंन्झुनूं हाल वन रक्षक कार्यालय डी.सी.एफ. इ0गा0न0प0 स्टेज द्वितीय, जैसलमेर मोबाईल नम्बर 9024513639 एवं श्री विष्णुसिंह पुत्र श्री कानसिंह जाति राजपूत उम्र 29 साल निवासी गांव बोरून्दा तहसील पीपाडसिटी जिला जोधपुर हाल वन रक्षक कार्यालय डी.सी. एफ. इ0गा0न0प0 स्टेज द्वितीय, जैसलमेर मोबाईल नम्बर 7727999970 होना बताया। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग हेतु कार्यालय हाजा के कानि चालक श्री शेराराम को टेक्सी स्टेन्ड जैसलमेर भेजकर एक अन्य प्राईवेट वाहन मंगवाया गया। ताबाद मन् अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता श्री जेठाराम हैड कानि 53, कानि0 शिवप्रताप 541, कानि0 दुर्गसिंह 498, कानि0 संग्रामसिंह 536, कानि0 श्री नरेन्द्रसिंह न0 274, कानि0 श्री भंवरलाल 309, मुकेश शर्मा वरिष्ठ सहायक, श्री किसनाराम कानि 238, गवाहान उदयराज व विष्णुसिंह एवं कार्यालय हाजा की सरकारी बोलेरो मय चालक कानि0 शेराराम 302 तथा प्राईवेट वाहन से विभागीय लेपटॉप, प्रिन्टर,पानी का कैम्पर, ट्रेप बॉक्स, एक अलग कांच की शिशी में फिनोफ्थलीन पाउडर व सामग्री इत्यादि लेकर भणियाणा की तरफ रवाना हुआ एवं परिवादी को आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वती राशि 20,000 रूपये सहित ग्राम भणियाणा से दो किलोमीटर पहले कानासर रोड के पास मिलने की आवश्यक हिदायत की गई। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय ब्यूरो दल के रवाना होकर दिनांक 29.03.2022 को समय 11.30 एएम पर ग्राम भणियाणा से दो किलोमीटर पहले कानासर रोड के पास पहुँचा जहॉ सडक के किनारे पुर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री भगवानसिंह उपस्थित मिला जिसने पूर्व में तयशूदा रिश्वती राशि 20000/- रुपये अपने साथ लाना बताया। जिस पर ब्यूरो दल में उपस्थित दोनो गवाहान श्री उदयराज वन रक्षक एवं श्री विष्णुसिंह वन विभाग जैसलमेर का परिवादी श्री भगवानसिंह से आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी श्री भगवानसिंह द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र गवाहान को पढकर सुनाया जाकर इस ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की गई। इस पर रूबरू मौतबिरान व परिवादी के डिजीटल रिकॉर्डर को चालू कर इसमें रिकॉर्ड रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 16.03.2022 में से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्यांश सुनाये गये जिसमें आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशी मांगने की पुष्टी हुई। जिस पर गोपनियता की दृष्टि से उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट बाद मे अलग से तैयार किया जाने का निर्णय लिया गया। ताबाद आरोपीगण श्री सीताराम जेटीए एवं श्री अरसद खां कनिष्ठ सहायक को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000 रू. के बारे में पूछने पर परिवादी ने उक्त रिश्वती राशि 20,000 रू. अपने साथ लाना बताया। जिस पर रूबरू मौतबिरान परिवादी द्वारा आरोपी श्री सीताराम जेटीए एवं श्री अरसद खां कनिष्ठ सहायक को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा 500 -500 रूपये के 40 नोट कुल राशी 20,000 रू. अपनी जेब से निकालकर मुझ अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। इन नोटो पर कार्यालय हाजा के कानि. श्री भंवरलाल कानि 309 से विधिवत फिनोफथलीन पाउडर की कार्यवाही करवाई जाकर फर्द पेशकशी भारतीय मुद्रा एवं सुपुर्दगी तथा दृष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री भंवरलाल कानि 309 को अग्रिम आदेश तक मौके पर ही छोडा गया। ताबाद मन् उप अधीक्षक पुलिस उपरोक्त हमरायान के परिवादी श्री भगवानसिंह को साथ लेकर पंचायत समिति भणियाणा के पास पहुंच कर परिवादी श्री भगवानसिंह को आवश्यक हिदायत कर डिजीटल रिकॉर्डर उसके पास ही रहने दिया जाकर आरोपी अरसद खां के कार्यालय की तरफ रवाना किया, उसके पीछे- पीछे कानि0

श्री किसनाराम 238 को रवाना किया गया। शेष समस्त ट्रेप दल अपनी अलग अलग पोजीशन लेकर परिवादी के मुकर्रर ईशारे के इंतजार में खडे रहे।

दिनांक 29.03.2022 को समय 12.50 पीएम पर मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री भगवानसिंह ने पुर्व मे निर्धारित गोपनीय इशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर किया अर्थात आरोपी श्री अरसद खां ने परिवादी श्री भगवानसिंह से रिश्वती राशि प्राप्त कर ली है। परिवादी का इशारा मिलने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस हमराह उपरोक्त मौतबिरान एवं ब्यूरो दल के साथ कार्यालय पंचायत समिति भणियाणा में प्रवेश किया तो कार्यालय पंचायत समिति परिसर भणियाणा के बरामदे में परिवादी के साथ एक व्यक्ति खडा मिला जिसने ब्यूरो दल को देखते ही अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब से नोटो का बण्डल निकालकर जमीन पर गिरा दिया। जिस पर स्वतन्त्र गवाहान विष्णुसिंह से जमीन पर गिराये हुए नोटो का बण्डल उठवाया जाकर उसी के पास रहने दिया गया। इसी दौरान परिवादी श्री भगवानसिंह को पुर्व मे दिया गया डिजिटल रिकॉर्डर प्राप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया जिसकी बाद मे सुन सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार की जावेगी। तत्पश्चात परिवादी से पुछने पर उसने अपने पास खडे व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि ये श्री अरसद खां कनिष्ठ सहायक है। जिन्होने पुर्व में तय अनुसार मेरे से अभी अभी 20 हजार रूपये (स्वयं के 10 हजार एवं सीताराम जेटीए के लिए 10 हजार रूपये) रिश्वती राशि अपने कार्यालय कक्ष के सामने अपने हाथों में लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में रखकर इस बरामदे में आये है जिसने ब्यूरो दल को देखते ही अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब से मेरे से प्राप्त रिश्वती राशि के नोटो के बण्डल को निकालकर जमीन पर गिरा दिया था। परिवादी के बताये अनुसार उक्त व्यक्ति को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना, मौतबिरान एवं ट्रेप दल का परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री अरसद खॉ पुत्र श्री अब्दे खां जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी गांव व पोस्ट भणियाणा तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत सरदारसिंह की ढाणी हाल कार्यालय पंचायत समिति भनियाणा जिला जैसलमेर मोबाईल नम्बर 9001537376 होना बताया। श्री अरसद खां कनिष्ठ सहायक को परिवादी से प्राप्त रिश्वती राशि 20,000 रूपये के बारे मे पुछने पर वह निरूत्तर रहा एवं परिवादी के सामने गिडगिडाने लगा। मौके पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि मेरे अपना खेत अपना काम महानरेगा योजना में धोरा,टांका, पशुबाडा बनाने के बाद उसका माप जोख कर बकाया भुगतान राशि 3.28,000 रूपये दिलवाने के एवजं में श्री सीताराम जेटीए से सम्पर्क करने पर उसने दिनांक 16.03.2022 को 15000 रूपये रिश्वत की मांग कर 5000 रूपये उसी समय मेरे से लिये थे तथा शेष 10,000 रूपये आईन्दा देने एवं अरसद खां से सम्पर्क करने के लिए कहा था। जिस पर उसी रोज मेरे द्वारा अरसद खां से सम्पर्क करने पर इसने भी श्री सीताराम जेटीए के 10 हजार रूपये के अलावा स्वयं के लिए भी 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी जो कि कुल रिश्वती राशि 20 हजार रूपये आज मेरे से प्राप्त किये है। चुंकि प्रकरण में आरोपी श्री सीताराम जेटीए द्वारा पुर्व में परिवादी से 15000 रूपये रिश्वत की मांग की जाकर मांग सत्यापन के दौरान ही 5000 रूपये प्राप्त कर लिये गये थे तथा शेष 10 हजार रूपये आज देना तय किया गया है जिसको इस ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने पर फरार होने की पुर्ण सम्भावना है। लिहाजा आरोपी श्री अरसद खां को एवं परिवादी श्री भगवानसिंह को हमराह ब्यूरो दल के साथ रवाना होकर परिवादी श्री भगवानसिंह के निशादेही से ग्राम भणियाणा में स्थित आरोपी श्री सीताराम यादव जेटीए के किराये के निवास पर पहुॅचे जहॉ मकान के दाहिने तरफ बने एक कमरे मे प्रवेश करते ही सामने एक व्यक्ति टेबल कुर्सी लगाकर कार्य करते हुए मिला जिसकी तरफ परिवादी ने इशारा कर बताया कि ये श्री सीताराम जेटीए है। परिवादी के बताये अनुसार उक्त व्यक्ति को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना, मौतबिरान एवं ट्रेप दल का परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री सीताराम पुत्र श्योराम जाति यादव उम्र 48 साल निवासी गांव भादवाडी तहसील खडेला जिला सीकर हॉल कनिष्ठ तकनीकी सहायक कार्यालय पंचायत समिति भनियाणा जिला जैसलमेर मोबाईल नम्बर 9929732086 होना बताया। जिस पर आरोपी श्री

सीताराम यादव जेटीए को साथ लेकर हमराह उपरोक्त के रवाना होकर अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना भणियाणा पहुँचा।चुंकि परिवादी के कथनानुसार रिश्वती राशि 20,000 रूपये आरोपी श्री अरसद खां ने अपने हाथों में लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब में रखे थे जिसे बाद में ब्यूरो दल को देखकर जमीन पर गिरा दिये थे। इस कारण आरोपी श्री अरसद खां का हाथ व पेन्ट की जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से हाथ धोवन की कार्यवाही विधिवत प्रारम्भ की गई। पुलिस थाना भणियाणा के केम्पर से एक बोतल मे साफ पानी मंगवाया जाकर साफ कांच के एक गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हिलाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नही आया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री अरसद खां के दाहिनी हाथ की अंगुलियों व अगुठे को डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया, इस गुलाबी घोल को साफ कांच की दो शीशियो में आधा–आधा भरकर सील चस्पा कर चस्पो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.1 व आर.एच. 2 अंकित किया गया। इसी तरह दूसरे साफ कांच के एक गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हिलाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नही आया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री अरसद खां के बांये हाथ की अंगुलियों व अगुठे को डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इस हल्का गुलाबी घोल को साफ कांच की दो शीशियो में आधा–आधा भरकर सील चस्पा कर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.1 व एल.एच. 2 अंकित किया गया। ताबाद श्री अरसद खां के पहने हुए कपडो की जामा तलाशी गवाह श्री उदयराज से लिवाई जानें पर उसके पहने हुऐ कपडो में किसी प्रकार की कोई राशि अथवा कागजात इत्यादि नही पाये गये। इसके पश्चात् श्री अरसद खां के ग्राम भणियाणा स्थित आवास से पहनने हेतू एक पेन्ट मंगवाई जाकर पहनी हुई पेन्ट को बदलवाया गया तथा उपरोक्तानुसार साफ कांच के गिलास में विधिवत सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया। इस रंगहीन घोल में उतरवाई गयी पेन्ट की बॉयी जेब को उलटवाकर घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। इस गुलाबी घोल को भी साफ कांच की दो शीशियों में आधा–आधा भर सील चस्पा कर, चस्पो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क पी.–1 व पी.–2 अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। इस पेन्ट को भी वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर सफेद कपड़े की एक थैली में सिलाई कर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित करते हुए संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील चस्पा किया गया। तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाह श्री विष्णुसिंह के पास पुर्व में रखवाई गई बरामदशुदा रिश्वती राशि 20 हजार रूपये के नोटो के नम्बरों का मिलान दुसरे गवाह श्री उदयराज से पूर्व में बनाई गयी फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से बोल–बोल कर करवाया गया तो फर्द में अंकित 20,000 रू0 के नोटों के नम्बर हुबहू पाये गये। नोटो के नम्बर फर्द पर अंकित किये गये जो निम्न प्रकार है:–

1. 500 रूपये का एक नोट नं0 0 एल.सी. 918831
2. 500 रूपये का एक नोट नं0 2 ई पी 507126
3. 500 रूपये का एक नोट नं0 1 बी एस 134344
4. 500 रूपये का एक नोट नं0 7 एफ आर 956334
5. 500 रूपये का एक नोट नं0 3 एच यु 613487
6. 500 रूपये का एक नोट नं0 2 एन के 961320
7. 500 रूपये का एक नोट नं0 5 क्यु डी 976812
8. 500 रूपये का एक नोट नं0 3 डी एम 682447
9. 500 रूपये का एक नोट नं0 2 एन वी 019955
10. 500 रूपये का एक नोट नं0 8 जी टी 593363

11. 500 रूपये का एक नोट नं0 5 सी एल 599666
12. 500 रूपये का एक नोट नं0 7 एम वी 365368
13. 500 रूपये का एक नोट नं0 3 वी एच 869865
14. 500 रूपये का एक नोट नं0 5 ए एस 865123
15. 500 रूपये का एक नोट नं0 8 के सी 004985
16. 500 रूपये का एक नोट नं0 8 जी वी 575970
17 500 रूपये का एक नोट नं0 8 वी ए 074054
18 500 रूपये का एक नोट नं0 9 एस के 343619
19 500 रूपये का एक नोट नं0 8 एच पी 933899
20 500 रूपये का एक नोट नं0 3 एच टी 988840
21 500 रूपये का एक नोट नं0 8 बी पी 071910
22 500 रूपये का एक नोट नं0 8 पी टी 567236
23 500 रूपये का एक नोट नं0 5 बी आर 632646
24 500 रूपये का एक नोट नं0 0 सी पी 982230
25 500 रूपये का एक नोट नं0 8 एफ डब्ल्यु 409071
26 500 रूपये का एक नोट नं0 4 एफ बी 808278
27 500 रूपये का एक नोट नं0 8 वी बी 696738
28 500 रूपये का एक नोट नं0 8 ई जी 952986
29 500 रूपये का एक नोट नं0 1 बी एल 502464
30 500 रूपये का एक नोट नं0 1 बी एल 502461
31 500 रूपये का एक नोट नं0 1 बी एल 502462
32 500 रूपये का एक नोट नं0 1 बी एल 502459
33 500 रूपये का एक नोट नं0 3 ई ए 349527
34 500 रूपये का एक नोट नं0 2 एच ई 634741
35 500 रूपये का एक नोट नं0 1 जी एल 740200
36 500 रूपये का एक नोट नं0 5 वी एम 185145
37 500 रूपये का एक नोट नं0 0 एम ए 929373
38 500 रूपये का एक नोट नं0 2 पी एस 729060
39 500 रूपये का एक नोट नं0 0 सी एम 887146
40 500 रूपये का एक नोट नं0 2 एफ एन 102403

उपरोक्त बरामदा कुल राशि 20,000 रू. के नोटो को कब्जा एसीबी लिया जाकर, इन नोटो पर सफेद कपड़े की एक चिट् लगाई जाकर, चिट् पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर इन नोटो को एक तरफ से सील चस्पा किया गया। ताबाद तस्सली पुर्वक आरोपी श्री अरसद खां को परिवादी से प्राप्त रिश्वती राशि के बारे में पुछने पर उसने बताया कि मै श्री भगवानसिंह को जानता हुं क्योकि वह मेरे क्षेत्राधिकारी की ग्राम पंचायत सरदारसिंह की ढाणी का स्थाई निवासी है। श्री भगवानसिंह का जिला परिषद जैसलमेर से अपना खेत अपना काम योजना में राशि 3,00,000 रूपये का काम स्वीकृत हुआ था जिसका भुगतान मस्टरोल इत्यादि पारित करवाने हेतु मेरे पास आया था। मैने श्री भगवानसिंह से कोई खर्चा पानी नही मांगा था ना ही कोई रिश्वत मांगी थी। आज भगवानसिंह मेरे पास आया था और उसने मुझे 500 रूपये के नोटो का एक बंडल देकर उक्त नोट जेटीए सीताराम जी ले जायेगें ऐसा कहा था। ये नोट भगवानसिंह ने किस बात के दिए थे इसकी मुझे कोई जानकारी नही है मुझे तो मात्र सीताराम जी के लिए नोट दिये थे। मेरे द्वारा कोई रिश्वत की मांग नही की गई थी और ना ही लिये गये है। आरोपी अरसद खां के उक्त कथन के सम्बन्ध में परिवादी श्री भगवानसिंह ने खण्डन करते हुए बताया कि अपना खेत अपना काम योजना में मेरे धोरा, टांका, पशुबाडा का काम स्वीकृत हुआ था जिसके पेटे बकाया 3,28000 रूपये का भुगतान मस्टरोल इत्यादि का पारित करवाने के एवज में श्री अरसद खां ने स्वयं के लिए 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग दिनांक 16.03.2022 को दौराने सत्यापन की थी। ताबाद तस्सली पुर्वक आरोपी श्री सीताराम जेटीए को परिवादी से पुर्व मे प्राप्त रिश्वती राशि के बारे में पुछने पर उसने बताया कि मै श्री भगवानसिंह को जानता हुं क्योकि ग्राम पंचायत सरदारसिंह की ढाणी का स्थाई निवासी होकर अपना खेत अपना काम योजना में लाभार्थी था जिसको राशि 3,00,000 रूपये का काम पहले से ही स्वीकृत हो रखा था जिसका मौका

मुआयना करने पर मौका स्थिति पर कोई कार्य नही पाया गया था। मेरे द्वारा मौके देखने के बाद भगवानसिंह मेरे पास कभी नही आया। मैने श्री भगवानसिंह से कोई खर्चा पानी नही मांगा था ना ही कोई रिश्वत मांगी थी। इस पास ही खडे परिवादी ने बताया कि मेरे स्वीकृत काम का मौका मुआयना करने के बाद मै दिनांक 16.03.2022 को श्री सीताराम जेटीए से मिला था तब इन्होने मेरे से खर्चा पानी के रूप मे 15000 रूपये रिश्वत की मांग की थी तथा उसी समय 5000 रूपये ले लिए थे तथा शेष 10 हजार रूपये मेरे दे देना व अरसद का मुझे नही पता अरसद का तुम जानो मैने मेरा बता दिया है, कहा था। जिस पर मै आज अरसद खां से मिला तो उसने मुझसे सीताराम जेटीए के लिए 10 हजार तथा स्वयं के लिए 10 हजार रूपये कुल 20 हजार रूपये रिश्वत के प्राप्त किए है। जो उसने अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में रखे थे तथा ब्यूरो दल को देखकर घबराकर जमीन पर गिरा दिये थे। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद श्री भंवरलाल कानि 309 को पुलिस थाना भणियाणा में पहुॅचने हेतु निर्देशित किया गया। ताबाद श्री अरसद खॉ पुत्र श्री अब्दे खां जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी गांव व पोस्ट भणियाणा तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत सरदारसिंह की ढाणी हाल कार्यालय पंचायत समिति भनियाणा जिला जैसलमेर को उनके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादसं से अवगत करवाया जाकर आरोपी श्री अरसद खां को गिरफतार किया गया। फर्द गिरफतारी पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद आरोपी श्री सीताराम पुत्र श्योराम जाति यादव उम्र 48 साल निवासी गांव भादवाडी तहसील खडेला जिला सीकर हॉल कनिष्ठ तकनीकी सहायक कार्यालय पंचायत समिति भनियाणा जिला जैसलमेर को उनके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादसं. से आगाह कर आरोपी श्री सीताराम जेटीए को को गिरफतार किया गया। फर्द गिरफतारी पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद आरोपी श्री अरसद खां व आरोपी श्री सीताराम जेटीए के ग्राम भणियाणा स्थित रहवासी मकान/आवास एवं कार्यालय कक्ष की खाना तलाशियॉ ली जाकर विधिवत फर्दे मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद आरोपी श्री अरसद खां द्वारा रिश्वती राशि कार्यालय पंचायत समिति परिसर भणियाणा में स्थित बरामदे में प्राप्त की गई है जहॉ से रिश्वती राशि 20,000 रूपये बरामद की गई, उक्त घटनास्थल बरामदगी रिश्वती राशि का विधिवत फर्द नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री भगवानसिंह पुत्र विरधसिंह के धोरा, टांका एवं पशुबाडा निमार्ण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका श्री सीताराम जेटीए के आवास से बरामद किया जाकर जरिये फर्द जप्ति के कब्जा एसीबी ली गई। तत्पश्चात पुलिस थाना भणियाणा में उपस्थित परिवादी भगवानसिंह एवं दोनो मौतबिरान के रूबरू डिजिटल रिकॉर्डर में रिश्वति राशि मागं सत्यापन वार्ता दिनांक 16.3.2022 जो कि परिवादी श्री भगवानसिह व आरोपी श्री सीताराम के मध्य हुई थी, को सुन– सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप अलग से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। रिश्वति राशि मागं सत्यापन वार्ता दिनांक 16.3.2022 जो कि परिवादी श्री भगवानसिह व आरोपी श्री अरसद खां के मध्य हुई थी, को रूबरू गवाहान व परिवादी के सुन– सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप अलग से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। रिश्वति राशि लेन–देन वार्ता दिनांक 29.03.2022 जो कि परिवादी श्री भगवानसिह व आरोपी श्री अरसद खां के मध्य हुई को रूबरू गवाहान व परिवादी के सुन– सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप अलग से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त तीनों वार्ताओं की एक–एक मूल सीडी तैयार कर कुल 03 सिडियॉ विधिवत रूप से अलग– अलग शिल्ड की गई एवं उनकी एक–एक डब सीडी कुल 03 सिडियां विधिवत रूप से अलग– अलग तैयार कर खुली रखी गई। प्रकरण हाजा में गिरफतारशुदा मुलजिमानों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु एक तहरीर जारी कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भणियाणा से चिकित्सक को तलब कर आरोपीगण श्री अरसद खां एव श्री सीताराम का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर मेडीकल रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। रात्रि में आरोपीगण को अलग से रखने की भणियाणा में कोई व्यवस्था

नही होने से थानाधिकारी पुलिस थाना भणियाणा के नाम एक तहरीर जारी कर आरोपीगण श्री अरसद खां एव श्री सीताराम को रात्री में सुरक्षा की दृष्टी से पुलिस थाना भणियाणा की हवालात में जमा करवाया गया। उक्त दोनो आरोपीगण को कल दिनांक 30.03.2022 को माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा।

मौके की समस्त ट्रेप कार्यवाही पूर्ण होने पर मालखाना प्रभारी श्री जेठाराम को ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त रिकॉर्ड, शिल्डशुदा रिश्वती राशि 20,000 रूपये, सील्डशुदा धोवन की छः शीशियां, पेन्ट का शिल्डशुदा पैकेट, रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप एवं रिश्वती राशि लेन देन वार्तालाप की शिल्डशुदा 03 सिडियां व 03 डब खुली सिडिया इत्यादि मालखाना आईटम एवं साथ लाये विभिन्न विभागीय उपकरण सुपुर्द कर हिदायत की गई कि ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर पहुॅच उक्त मालखाना आईटम जमा मालखाना व इन्द्राज करे। ताबाद श्री जेठाराम मय ब्यूरो जाप्ता व दोनो स्वतन्त्र गवाहान को रूकसत कर जैसलमेर के लिए रवाना किया गया।

उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्तगण श्री अरसद खॉ पुत्र श्री अब्दे खां जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी गांव व पोस्ट भणियाणा तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत सरदारसिंह की ढाणी हाल कार्यालय पंचायत समिति भनियाणा जिला जैसलमेर एवं श्री सीताराम पुत्र श्योराम जाति यादव उम्र 48 साल निवासी गांव भादवाडी तहसील खडेला जिला सीकर हॉल कनिष्ठ तकनीकी सहायक कार्यालय पंचायत समिति भणियाणा जिला जैसलमेर द्वारा परिवादी श्री भगवानसिंह के नाम से वर्ष 2018 में मनरेगा के तहत विकलांग कोटे से अपना खेत अपना काम योजना में स्वीकृत धोरा, टांका व पशुबाडा निर्माण पेटे 3,50,000 रूपये मे से बकाया रही राशि 3,28,000 रूपये का भुगतान कराने के एवज में दिनांक 16.03.2022 को रिश्वती राशि मांग का सत्यापन के दौरान जेटीए श्री सीताराम द्वारा 15000 रूपये रिश्वत की मांग कर उसी समय 5000 रूपये प्राप्त करना तथा शेष 10,000 रूपये आईन्दा देने एवं अरशद से सम्पर्क करने के लिए कहना, परिवादी द्वारा अरशद से सम्पर्क करने पर उसके द्वारा भी स्वयं के लिए 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग करना, जिस पर दिनांक 29.03.2022 को आरोपी अरशद कनिष्ठ सहायक द्वारा 20,000 रूपये (10 हजार स्वयं के लिए एवं 10 हजार जेटीए सीताराम के लिए) लेना का जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादस का कारित किया जाना पाया गया है।लिहाजा इस प्रकरण की बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट अलग से कता की जाकर वास्ते अपराध पंजीयन ब्यूरो मुख्यालय जयपुर प्रेषित की जा रही है। कृपया प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन करवाकर अनुसंधान के आदेश प्रदान करावे।

(अन्नराज)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जैसलमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अन्नराज, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री सीताराम, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, कार्यालय पंचायत समिति भणियाणा जिला जैसलमेर एवं 2. श्री अरसद खॉ, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत सरदारसिंह की ढाणी, हाल कार्यालय पंचायत समिति भणियाणा जिला जैसलमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 101/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियॉं प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30/3/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 891-96 दिनांक 30.3.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, जैसलमेर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जैसलमेर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।